

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 1370/11

संस्थित दिनांक-09.12.11

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. अशोक पुत्र बेतालसिंह जाटव उम्र 28 साल
2. बेतालसिंह पुत्र अर्जुनलाल जाटव उम्र 56 साल
निवासीगण सिंगवारी थाना मालनपुर
जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—:: निर्णय ::—

{आज दिनांक 07.09.2017 को घोषित}

अभियुक्त अशोक पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279, 337, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 19.09.11 को समय 15:45 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड बाराहैट पैडा पंचर की दुकान के पास मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0 30 एम0डी0 1022 को लोकमार्ग पर उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, टक्कर मारकर अनारदेवी को उपहति तथा विटोलीबाई को गंभीर उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को बिना चालन अनुज्ञाप्ति एवं बिना वाहन का बीमा कराकर चलाया तथा अभियुक्त बेताल पर मोटरयान अधि0 की धारा 5/180 के अधीन यह आरोप है कि उसने वाहन स्वामी होते हुए अभियुक्त अशोक को चलाने दिया जिसके पास वाहन चलाने का वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 19.09.11 को आहत विटोलीबाई अपने भतीजे के साथ बाराहैट पैडा पर परमाल शर्मा के यहां इलाज कराने आयी थी और इलाज कराकर वापस जा रहा था। पंचर की दुकान के सामने ग्वालियर रोड पर पहुंचा तभी गोहद चौराहा तरफ से एक मोटरसाईकिल क्र0 एम0पी0-30 एम0डी0-1022 का चालक मोटरसाईकिल को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और विटोलीबाई को टक्कर मार दी जिससे उसके बाएं पैर की जांघ तथा दोनों हाथों की कोहनी और शरीर में चोटें आई थी। मोटरसाईकिल वाला गिर गया, उसे भी चोटें आई। उसने अपना नाम अशोक पुत्र बेताल जाटव सिंगवारी का बताया। उक्त आशय की रिपोर्ट दिलीपसिंह द्वारा किए जाने से अप0क्र0 127/11 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौक बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, जब्ती

कर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया, वाहन की मैकेनिकल जांच कराई गयी। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्तगण को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्त अशोक ने दिनांक 19.09.11 को समय 15:45 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड बाराहैट पैडा पंचर की दुकान के पास मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 30 एम.डी. 1022 को लोकमार्ग पर उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानवजीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या उक्त दिनांक, समय पर आहत अनारदेवी एवं विटोली को शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उनकी प्रकृति ?
3. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर टक्कर मारकर अनारदेवी को उपहति तथा विटोलीबाई को गंभीर उपहति कारित की ?
4. क्या अभियुक्त द्वारा उक्त वाहन को उक्त दिनांक, समय व लोक मार्ग पर बिना चालन अनुज्ञप्ति एवं बिना वाहन का बीमा कराकर चलाया ?
5. क्या अभियुक्त बेताल ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन का स्वामी होते हुए अभियुक्त अशोक को चलाने दिया जिसके पास वाहन चलाने का वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5 अभियोजन की ओर से प्रकरण में विटोलीबाई अ0सा0 1, डा आलोक शर्मा अ0सा0 2 रामकरन शर्मा अ0सा0 3, अनारदेवी अ0सा0 4, गोपसिंह अ0सा0 5, पप्पन अ0सा0 6 बी0एल0 बंसल अ0सा0 7, दिलीपसिंह अ0सा0 8, सुरेश अ0सा0 9, डा0 योगेश कसेडिया अ0सा0 10 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 //

6. आहत विटोलीबाई अ0सा0 1 यह कथन करती है कि घटना उनके साक्ष्य दिनांक 13.10.14 से तीन साल पहले में एक महीने कम तथा दो वर्ष 11 माह पहले शाम के 5 बजे की है। साक्षी यह कथन करती है कि वह अपने चचिया ससुर दिलीप के साथ इलाज कराने बाराहैट पैडा पर गयी थी, वहां पर डाक्टर परमाल थे। इलाज के बाद वे डाक्टर सहाब की दुकान से थोड़ा आगे पहुंची तो गोहद चौराहा तरफ से एक मोटरसाईकिल आई जिसके चालक का नाम अशोक सिंगवारी था। उक्त मोटरसाईकिल चालक ने उसे टक्कर मार दी। साक्षी उक्त दुर्घटना में टक्कर लगने से उसकी जांघ, सिर में बांयी तरफ तथा शरीर में अन्य जगह चोटें आने का कथन करती है। पहले अपना इलाज

गोहद में फिर ग्वालियर में रैफर कर दिए जाने का तथ्य बताती है। फरियादी दिलीप अ०सा० 8 जो कि प्राथमिकीकर्ता है, वह कथन करता है कि साक्ष्य से 5-6 साल पहले बरसात के समय शाम करीब 4 बजे बाराहैट पैडा पर वह था। गोहद चौराहा से अशोक मोटरसाईकिल चलाकर लाया और विटोलीबाई जो सड़क किनारे जा रही थी उसमें पीछे से टक्कर मार दी जिससे विटोलीबाई गिर गयी, उनके पैर, हाथों तथा शरीर में चोटे आई। साक्षी कथन करता है कि उसने जाकर विटोलीबाई को उठाया और सड़क किनारे रखा था। विटोलीबाई को अस्पताल ले जाने के पूर्व थाना गोहद चौराहे पर लाने और प्र०पी० 10 की रिपोर्ट करने का कथन करते हैं जिस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। साक्षी विटोलीबाई का इलाज पहले गोहद अस्पताल फिर बाद में ग्वालियर होने का कथन करते हैं।

7. सुरेश अ०सा० 9 यह कथन करते हैं कि घटना 5 साल 7 महीने पहले 9 वे महीने की है। वे बाराहैट पैडा पर पप्पन की पंचर की दुकान पर खड़े थे। अभियुक्त गोहद तरफ से अपने गांव सिंगवारी जा रहा था, उसकी भाभी विटोलीबाई पप्पन की दुकान के आगे से पैदल इलाज कराने जा रही थी, जो तुकैडा की ओर आ रही थी। तभी अभियुक्त अशोक अपनी गाडी को तेज चलाकर लाया और विटोलीबाई को टक्कर मार दी जिससे उसे चोट आई। साक्षी टक्कर से उसका पैर टूट जाने तथा हाथ पैरों में चोट आने का कथन करती हैं। साक्षी यह भी बताता है कि अभियुक्त की मोटरसाईकिल पर एक महिला सवारी बैठी थी जिसको गिरने से चोट आई थी। प्राथमिकी लेखक बी०एल० बंसल अ०सा० 7 यह कथन करते हैं कि दिनांक 19.09.11 को फरियादी दिलीपसिंह तोमर के उपस्थित होने पर उन्होंने मोटरसाईकिल क्र० एम०पी०-30 एम०डी० 1022 के चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की थी जो प्र०पी० 10 बताकर उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

8. प्रकरण में चिकित्सक डा० आलोक शर्मा अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 19.09.2011 को सीएचसी गोहद में उनके समक्ष आहत विटोलीबाई को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया था, जिनके चिकित्सीय परीक्षण में उन्हें 5 चोटें निम्नानुसार आई थी-

1-बांयी जांघ में विकृति, जांघ का तापमान सामान्य से अधिक था, चोट के एक्सरे की सलाह दी गयी थी।

2-ठोडी पर 2 गुणा 1 सेमी० छिला हुआ घाव।

3-दाहिनी कोहनी पर 2 गुणा 1.5 सेमी० छिला घाव।

4-माथे पर दाहिनी तरफ 3 गुणा 1.5 सेमी० का छिला हुआ घाव।

5-दाहिने गाल पर 4 गुणा 3 सेमी० का छिला घाव पाया था।

9. डा0 आलोक शर्मा अ0सा0 2 अपने अभिमत में बताते हैं कि आहत विटोलीबाई को आई चोटें कड़ी व भौथरी वस्तु से परीक्षण से 6 घण्टे के भीतर की आना प्रतीत हो रही थी, जिसका प्रकार एक्सरे के आधार पर दिया जाना संभव था। चोटों की प्रकृति के लिए आहत को उपचार हेतु जे0ए0 अस्पताल ग्वालियर रैफर किया गया था। मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी0 2 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। फरियादी एवं आहत दोनों के द्वारा विटोलीबाई को कारित चोटें दुर्घटना में अभिकथित समय पर कारित होने, तत्पश्चात् प्रपी0 10 की रिपोर्ट किए जाने तथा उसी दिनांक को आहत के मेडीकल परीक्षण कराए जाने के तथ्य का समर्थन दस्तावेजों के माध्यम से हो रहा है। मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी0 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अधीन सुसंगत होकर पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित किए जाने से अधिनियम की धारा 114 ड के अधीन उनके सम्यक रूप से निष्पादन किए जाने के प्रति उपधारणा का आधार दर्शित करती है। उपधारणा खण्डित करने के संबंध में कोई भी तथ्य अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया। स्वयं अभियुक्तगण की ओर से आहत को कारित चोटें मोटरसाईकिल से पथरीली सतह पर गिरने के फलस्वरूप दुर्घटना वश कारित होने का सुझाव दिया है, ऐसी दशा में आहत विटोलीबाई को कारित चोटें सुसंगत दस्तावेजों प्रपी0 2 एवं 10 के माध्यम से समर्थित होकर प्रमाणित हैं।

10. डा0 योगेश कसेडिया अ0सा0 10 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि दिनांक 11.11.11 को रेडियोलोजी जे0ए0एच0 ग्वालियर में ट्यूटर सह रजिस्टार के रूप में कार्यरत थे। उक्त दिनांक को आहत विटोलीबाई के बाएं कूल्हे की हड्डी का एक्सरे परीक्षण किया गया था जिसमें उनकी बांयी फीमर हड्डी के उपरी भाग में अस्थिभंग होना पाया गया था। उक्त एक्सरे परीक्षण डा0 रश्मिसिंह परिहार द्वारा किया गया जो कि पी0जी0 छात्रा के रूप में कार्यरत थी और एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट उन्होंने तैयार की थी जो प्र0पी0 11 है जिस पर ए से ए भाग पर अपने काउण्टर हस्ताक्षर तथा डा0 रश्मि परिहार के बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। साक्षी द्वारा उक्त रिपोर्ट प्र0पी0 11 को अपने हस्ताक्षरित एवं डा0 रश्मि परिहार द्वारा निष्पादित किए जाने का कथन किया है। साक्षी का कथन एक्सरे रिपोर्ट के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 47 के अधीन हस्ताक्षर तथा हस्तलिपि के पहचानने वाले साक्षी की राय के रूप में सुसंगत व ग्राह्य है। इस प्रकार से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि आहत विटोलीबाई को दिनांक 19.09.11 को शरीर पर चोटें मौजूद थी जिनमें एक चोट उसके बाएं फीमर हड्डी में अस्थिभंग के रूप में मौजूद थी।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 3 //

11. साक्ष्य में उत्पन्न तथ्यों एवं परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। फरियादी विटोलीबाई अ0सा0 1 यह कथन करती है कि उसे गोहद चौराहा तरफ से आ रही मोटरसाईकिल के चालक अशोक निवासी सिंगवारी द्वारा

टक्कर मार दी गयी थी। साक्षी मुख्य परीक्षण में कथित मोटरसाईकिल लापरवाही से चलाए जाने का कथन करती है। साक्षी यद्यपि कथित मोटरसाईकिल का नंबर बताने में अस्मर्थ है किन्तु मोटरसाईकिल के चालक के रूप में अभियुक्त का नाम बताती है। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में बताती है कि मोटरसाईकिल चालक को वह पहले से नहीं जानती थी, बल्कि लडकों ने मोटरसाईकिल चालक का नाम बताया था। साक्षी दुर्घटना के बाद बेहोश हो जाने और दूसरे दिन होश ग्वालियर अस्पताल में आने का कथन करती है। साक्षी यह भी बताने में अस्मर्थ है कि मोटरसाईकिल किस कंपनी की थी और कौनसी थी। साक्षी मोटरसाईकिल की गति 200 किमी० बताती है फिर कहती है कि काफी तेजी से चल रही थी। इस प्रकार से साक्षी द्वारा उसको कारित चोटें दुर्घटना में अवश्य बताई गयी है, किन्तु कथित वाहन का नंबर बताने में अस्मर्थ है और चालक के संबंध में कथन अनुश्रुत आधार पर है ऐसी दशा में अन्य साक्ष्य पर विचार करना होगा।

12. फरियादी दिलीपसिंह अ०सा० 9 यह कथन करते हैं कि अभियुक्त मोटरसाईकिल को चलाकर गोहद चोराहा से लाया और विटोलीबाई को पीछे से टक्कर मार दी। साक्षी कथित मोटरसाईकिल को चालक द्वारा बड़ी तेजी से चलाकर लाने और टक्कर मार देने का कथन करते हैं। यह भी बताते हैं कि उन्होंने अभियुक्त अशोक को मौके पर पकड़ लिया था। सुरेश अ०सा० 10 भी इसी प्रकार से कथन करता है कि अभियुक्त अशोक अपनी गाड़ी को काफी तेजी से चलाकर लाया और विटोलीबाई को टक्कर मार दी जिससे उनको चोटें आई और पैर टूट गया। साक्षी कथित मोटरसाईकिल के चालक अशोक के वहीं गिर जाने का कथन करते हैं साथ ही न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त के गोहद तरफ से ग्राम सिंगवारी जाने का कथन करते हैं। साक्षी प्रतिपरीक्षण में बताते हैं कि वे अभियुक्त को पहले से जानते थे, यद्यपि उसके पिता का नाम नहीं जानते थे। प्रकरण में उक्त दोनों ही साक्षी स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा कथित मोटरसाईकिल को तेजी से चलाकर लाने और सड़क किनारे जा रही विटोलीबाई को पीछे से टक्कर मार देने के संबंध में समर्थन करते हैं। यद्यपि उक्त साक्षीगण फरियादी से संबंध रखते हैं, किन्तु मात्र इसी कारण से उनके चक्षुदर्शी साक्षी होने में संदेह नहीं किया जा सकता। फरियादी दिलीपसिंह अ०सा० 8 द्वारा प्राथमिकी प्रपी० 10 में भी मोटरसाईकिल चालक के गिर जाने और उसका नाम पूछने पर अशोक पुत्र बेटाल जाटव निवासी सिंगवारी होने का तथ्य लिखाया गया है। ऐसी दशा में प्रकरण में अभियुक्त की घटनास्थल पर मोटरसाईकिल चलाकर दुर्घटना कारित करने के तथ्य पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

13. श्रीमती अनारदेवी अ०सा० 4 जो कि अभियुक्त की माँ भी है, मुख्य परीक्षण में घटना की कोई जानकारी न होना बताती है किन्तु सूचक प्रश्न में यह स्वीकार करती है कि दिनांक 19.09.11 को अपने लडके अशोक के साथ मोटरसाईकिल क्र० एम०पी०-30 एम०डी० 1022 पर बैठकर गोहद तरफ रिश्तेदारी में गयी थी। इस संबंध में अनभिज्ञता प्रकट करती है कि अशोक ने मोटरसाईकिल को तेजी

व लापरवाही से चलाकर तुकेंडा जा रही एक औरत को टक्कर मार दी थी। इस प्रकार से इस साक्षी द्वारा अभिकथित घटना दिनांक 19.09.11 को उसके पुत्र अभियुक्त अशोक के वाहन मोटरसाईकिल क्र0 एम0पी0-30 एम0डी0 1022 को चलाए जाने के संबंध में तथ्य स्वीकार किए हैं और इस तथ्य का भी कोई विनिर्दिष्ट खण्डन नहीं किया है कि अशोक ने मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर तुकेंडा जा रही एक औरत को टक्कर मार दी। यद्यपि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत इस साक्षी द्वारा पक्षविरोधी घोषित किए जाने के उपरांत सूचक प्रश्नों में उक्त तथ्यों को प्रकट किया है किन्तु प्रतिपरीक्षण में उक्त तथ्यों को कोई चुनौती नहीं दी गयी है। आहत विटोलीबाई अ0सा0 1, फरियादी दिलीप अ0सा0 8 तथा सुरेश अ0सा0 9 के अभिसाक्ष्य, प्र0पी0 10 की प्राथमिकी के समर्थन के प्रकाश में अनारदेवी अ0सा0 4 के कथन का उक्त भाग अभियोजन के मामले का समर्थन करता है। न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत Paulmeli and anr. V. State of Tamil nadu Tr. Insp. Of Police AIR 2014 SC (Supp) 1249 : (2014) 13 SCC 90 : 2014 (7) SCALE 508 की ओर आकर्षित होता है जिसकी कण्डिका 16 व 17 में मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित विधि सिद्धांत निम्नानुसार है –

16. This Court in Ramesh Harijan v. State of U.P., AIR 2012 SC 1979 : (2012 AIR SCW 2990) while dealing with the issue held : (Para 18 of AIR, AIR SCW)

"It is a settled legal proposition that the evidence of a prosecution witness cannot be rejected in toto merely because the prosecution chose to treat him as hostile and cross-examine him. The evidence of such witnesses cannot be treated as effaced or washed off the record altogether but the same can be accepted to the extent that their version is found to be dependable on a careful scrutiny thereof. (Vide: Bhagwan Singh v. The State of Haryana, AIR 1976 SC 202; Rabindra Kumar Dey v. State of Orissa, AIR 1977 SC 170; Syad Akbar v. State of Karnataka, AIR 1979 SC 1848; and Khujji alias Surendra Tiwari v. State of Madhya Pradesh, AIR 1991 SC 1853) : (1991 AIR SCW 2038)".

17. In State of U.P. v. Ramesh Prasad Misra and Anr., AIR 1996 SC 2766 : (1996 AIR SCW 3468), this Court held that evidence of a hostile witness would not be totally rejected if spoken in favour of the prosecution or the accused but required to be subjected to close scrutiny and that portion of the evidence which is consistent with the case of the prosecution or defence can be relied upon.

A similar view has been reiterated by this Court in Sarvesh Narain Shukla v. Daroga Singh and Ors., AIR 2008 SC 320 : (2007 AIR SCW 6843); Subbu Singh v. State by Public Prosecutor, (2009) 6 SCC 462 : (2009 AIR SCW 3937); C. Muniappan and Ors. v. State of Tamil Nadu, AIR 2010 SC 3718; and Himanshu alias Chintu v. State (NCT of Delhi), (2011) 2 SCC 36 : (AIR 2011 SC (Cri) 426).

Thus, the law can be summarised to the effect that the evidence of a hostile witness cannot be discarded as a whole, and relevant parts thereof which are admissible in law, can be used by the prosecution or the defence.

14. इसके अतिरिक्त हाल ही में मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत Krishan

Chander V. State of Delhi AIR 2016 SC 298 : (2016) 3 SCC 108 में

कण्डिका 28 पक्षविरोधी साक्षी की साक्ष्य के संबंध में निम्नानुसार विधि सिद्धांत रेखांकित किया है—

28. We are unable to agree with the above contentions urged by the learned ASG that the complainant-Jai Bhagwan turned hostile witness in the case before the trial court, however, the statement of evidence of Anoop Kumar Verma (PW-6) and inspector-Sunder Dev (PW-12) was sufficient to support the case of the prosecution with regard to acceptance of bribe amount by the appellant from Jai Bhagwan (PW-2). This Court is of the view that whenever a prosecution witness turns hostile his testimony cannot be discarded altogether. In this regard, reliance is placed by the ASG on the decision of this court in the case of Rabindra Kumar Dey v. State of Orissa (1976) 4 SCC 233 : (AIR 1977 SC 170). The relevant para 12 of the aforesaid case reads thus:

"12. It is also clearly well settled that the mere fact that a witness is declared hostile by the party calling him and allowed to be cross-examined does not make him an unreliable witness so as to exclude his evidence from consideration altogether. In Bhagwan Singh v. State of Haryana Bhagwati : (AIR 1976 SC 202), J., speaking for this Court observed as follows:

"The prosecution could have even avoided requesting for permission to cross-examine the witness under Section 154 of the Evidence Act. But the fact that the court gave permission to the prosecutor to cross-examine his own witness, thus characterising him as, what is described as a hostile witness, does not completely efface his evidence. The evidence remains admissible in the trial and there is no legal bar to base a conviction upon his testimony if corroborated by other reliable evidence."

(Emphasis supplied)

15. इस प्रकार से अनारदेवी अ0सा0 4 की अभिसाक्ष्य से अभियोजन के मामले का समर्थन होता है कि घटना दिनांक 19.09.11 को सुसंगत शाम के समय अभियुक्त द्वारा कथित मोटरसाईकिल चलाकर आहत विटोलीबाई को उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक उसका मानव जीवन संकटापन्न कर टककर मारकर घोर उपहति पहुंचाई। जहां तक आहत अनारबाई की चोटों का प्रश्न है तो उसने स्वयं की कोई डाक्टरी न कराए जाने का कथन किया है। यद्यपि विटोलीबाई अ0सा0 1 एवं सुरेश अ0सा0 9 ने अभियुक्त के साथ मोटरसाईकिल पर बैठी महिला के गिर जाने और चोटें आने का तथ्य बताया है, किन्तु स्वयं आहत उक्त संबंध में कोई कथन नहीं करती है। ऐसी दशा में आहत अनारदेवी अ0सा0 4 की चोटों के संबंध में अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं पाया जाता है, जबकि आहत विटोलीबाई के संबंध में प्रमाणित पाया जाता है। अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विटोलीबाई अ0सा0 1 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 के अंत में उसे मोटरसाईकिल पर बैठते समय गिरने से चोटें आना स्वीकार की है ऐसी दशा में अभियुक्त अशोक का आरोप प्रमाणित नहीं है। उक्त तर्क के संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त साक्षी का कण्डिका 4 में किया गया कथन उल्लेखनीय है "मैं इलाज कराकर घर के लिए चल दी थी और रोड पार कर रही थी उसी समय घटना घटी थी। यह सही है कि इलाज कराने के बाद जब मैं घर को जा रही थी तब मेरे सिर में दर्द हो रहा था व चक्कर आ रहे थे व मैं चलने में भी अस्मर्थ थी। यह कहना गलत है कि मैं चल नहीं पा रही थी, इसलिए मोटरसाईकिल पर बैठ गयी थी। यह सही है कि मोटरसाईकिल पर बैठते समय उससे गिर गयी और दुकान के सामने जो गिट्टी पड़ी थी उस पर गिर पड़ी जिससे

हमारे चोट आ गयी। यह कहना गलत है कि आरोपी की मोटरसाईकिल से मुझे टक्कर नहीं लगी।” उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि साक्षी ने अभियुक्त के इस सुझाव से इंकार किया कि वह मोटरसाईकिल पर बीमारी के कारण बैठ रही थी, ऐसी दशा में उसके गिरने का जो सुझाव स्वीकृत रूप में लिखा है वह इस सुझाव से खण्डित हो जाता है कि अभियुक्त की मोटरसाईकिल से उसे कोई टक्कर नहीं लगी। इस प्रकार से अभियुक्त का तर्क सारहीन पाया जाता है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 4 व 5 //

16. उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में जहां फरियादी एवं अभियोजन की अन्य साक्ष्य से प्रमाणित है कि अभियुक्त द्वारा वाराहैट पैडा नामक सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाईकिल क्र० एम०पी०-30 एम०डी० 1022 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया गया वहीं अनुसंधानकर्ता गोपसिंह अ०सा० 5 अभियुक्त से कथित मोटरसाईकिल को जब्त कर जब्ती पंचनामा प्रपी० 9 बनाए जाने का कथन करते हैं, यद्यपि अभियुक्तगण के द्वारा उनके दफ्तर की धारा 313 के परीक्षण में कथित मोटरसाईकिल अनुसंधान में जब्त किए जाने का तथ्य अस्वीकार किया है, किन्तु प्रकरण में उक्त वाहन मोटरसाईकिल क्र० एम०पी०-30 एम०डी० 1022 को अभियुक्त बेतालसिंह को वाहन स्वामी की हैसियत से सुपुर्दगी पर न्यायालय से प्राप्त किए जाने का तथ्य अभिलेख पर है। उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 106 विशिष्ट ज्ञान रखने वाले तथ्य को प्रमाणित करने के भार का उपबंध करती है जिसके अनुसार जो व्यक्ति किसी विशिष्ट तथ्य को जानता है उसे साबित करने का भार उक्त व्यक्ति पर होता है। कथित मोटरसाईकिल क्र० एम०पी०-30 एम०डी० 1022 चूंकि अभियुक्त बेतालसिंह के स्वामित्व की थी ऐसे में उक्त मोटरसाईकिल वैध जोखिम बीमा के अधीन थी या नहीं, इस तथ्य का विशेष ज्ञान अभियुक्त पर था। ऐसी दशा में कथित बीमा उसे प्रस्तुत करना था किन्तु उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त अशोक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 106 के प्रकाश में वैध चालक अनुज्ञप्ति भी प्रस्तुत नहीं की। ऐसी दशा में यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 19.09.11 को अभियुक्त अशोक द्वारा भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर वाराहैट पैडा सार्वजनिक मार्ग पर मोटरसाईकिल क्र० एम०पी०-30 एम०डी० 1022 को बिना वैध जोखिम बीमा के व बिना चालक अनुज्ञप्ति के चलाया गया तथा अभियुक्त बेतालसिंह द्वारा उक्त वाहन के पंजीकृत स्वामी होते हुए सह अभियुक्त अशोक को चलाने के लिए दी।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त अशोक के विरुद्ध संहिता की धारा 279, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 का आरोप प्रमाणित है कि उसने दिनांक 19.09.11 को समय 15:45 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड वाराहैट पैडा पंचर की दुकान के पास मोटरसाईकिल क्रमांक एम०पी० 30 एम०डी० 1022 को लोकमार्ग पर उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक

चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, टक्कर मारकर विटोलीबाई को गंभीर उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को बिना चालन अनुज्ञप्ति एवं बिना वाहन का बीमा कराकर चलाया तथा अभियुक्त बेताल पर मोटरयान अधि० की धारा 5/180 का आरोप प्रमाणित है कि उसने वाहन स्वामी होते हुए अभियुक्त अशोक को चलाने दिया जिसके पास वाहन चलाने का वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था।

18. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उन्हें अभिरक्षा में लिया जावे।

19. वर्तमान में सार्वजनिक मार्गों पर उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक वाहन चलाए जाने से तेजी से दुर्घटनाएं बढ रही हैं। घटना में आहत को चोटें कारित हुई हैं। ऐसी दशा में प्रकरण में परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

20. अभियुक्त अशोक नवयुवक तथा अभियुक्त बेताल वृद्ध है। उनकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। अभियुक्तगण के मजदूरी करके उसके परिवार का भरणपोषण किए जाने के संबंध में आधार दर्शित किया है। प्रकरण के निराकरण में कोई सारवान विलंब कारित नहीं हुआ है। अभियुक्तगण निरंतर उपस्थित रहे है। अतः उन्हें शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्याप्त हैं। अतः अभियुक्त अशोक को संहिता की धारा 279, 338 का अपराध संहिता की धारा 71 के प्रकाश में एक ही संव्यवहार के भाग के रूप में होने से प्रथक प्रथक दण्ड से दण्डित किए जाने की आवश्यकता नहीं हैं। अतः उक्त प्रावधान के प्रकाश में संहिता की धारा 338 के अधीन अभियुक्त अशोक को 6 माह की अवधि के साधारण कारावास व 200 रुपये के अर्थदण्ड तथा मोटरयान अधि० की धारा 3/181, 146/196 के आरोप में क्रमशः 500 एवं 1000 कुल अर्थदण्ड 1700 रुपये से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे। अभियुक्त बेताल को मोटरयान अधि० की धारा 5/180 के आरोप में 800 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

21. अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि कुछ नहीं।

22. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही/-

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/-

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)